प्रैस नोट

दिनांक- 04.10.2020

सनव्वर अली हत्याकाण्ड में वांछित 03 अभियुक्त अवैध असलाह मय कारतूस सहित थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 22.09.20 की रात्रि समय करीब 09.00 बजे थाना कोतवाली देहात क्षेत्र ग्राम हात्माबाद निवासी सनव्वर अली (उम्र-42वर्ष) पुत्र मुनव्वर अली की निर्माणाधीन फ्लाईओवर के पास जंगल ग्राम नीमखेड़ा में गोली मारकर कर हत्या कर दी गयी थी, जिसके संबंध में मृतक के भाई दानिश अली की तहरीर पर थाना कोतवाली देहात पर मुअसं-857/20 धारा 302 भादवि बनाम मुजाहिद पुत्र मोहम्मद अली निवासी ग्राम अकबरपुर थाना कोतवाली देहात बुलन्दशहर व एक अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था।

उपरोक्त घटना में संलिप्त अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री संग्राम सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात को निर्देशत गया था। घटना की गहनता से छानबीन/जांच करने पर पाया गया कि उक्त हत्याकाण्ड़ में अभियुक्त मुजाहिद के अतिरिक्त मृतक सनव्वर की पत्नी शीबा, मुजाहिद का भाई सादिम व बहनोई सोनू उर्फ शादाब पुत्र वहाब निवासी कस्बा व थाना सिकन्द्राबाद बुलन्दशहर एवं सादिम का साला साहेब पुत्र जकारिया निवासी ग्राम नीमखेड़ा थाना कोतवाली देहात बुलन्दशहर के नाम भी प्रकाश में आयें थे। जिसमें से अभियुक्ता मृतक की पत्नी शीबा व उसके प्रेमी मुजाहिद को दिनांक 26/27.09.2020 की रात्रि में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे थे। दिनांक 03.10.2020 की रात्रि में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर हत्याकाण्ड़ में संलिप्त शेष अन्य तीन अभियुक्तों को ग्राम अडौली बाईपास नहर पुल से समय करीब रात्रि 10.15 बजे अवैध असलाह मय कारतूस सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम-पता-

1- सादिम पुत्र मौ0 अली निवासी ग्राम अकबरपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

2- मौ0 शहाब गाजी पुत्र जकारिया निवासी ग्राम नीमखेडा थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

3- शादाब उर्फ सोनू पुत्र वाहब निवासी मौ0 रोई का पैंच जमाईपुरा कस्बा व थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

1- 03 तमंचे 315 बोर व 06 जिन्दा कारतूस

उपरोक्त घटना की विवेचना/कार्यवाही एवं पूछताछ से ज्ञात हुआ कि अभियुक्त मुजाहिद के मृतक सनव्वर की पत्नी शीबा से अवैध संबंध थे तथा शीबा अभियुक्त मुजाहिद से शादी करना चाहती थी। दिनांक 08.05.20 को सनव्वर ने मुजाहिद को शीबा के साथ घर के अंदर आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था और सनव्वर द्वारा मुजाहिद के साथ काफी मारपीट की गयी थी तथा मुजाहिद के विरुद्ध चोरी के प्रयास का अभियोग पंजीकृत करा दिया था जिस कारण मुजाहिद व उसके परिवार के लोग सनव्वर से रंजिश रखने लगे थे। मृतक सनव्वर ने एक दूसरी अन्य महिला से भी शादी कर रखी थी जिस कारण अक्सर सनव्वर अपनी पत्नी शीबा के साथ मारपीट करता रहता था। इसी कारण शीबा ने अपने पति सनव्वर की हत्या करने की योजना बनाई कि अगर सनव्वर रास्ते से हट जाए तो पूरी संपत्ति उसके नाम हो जाएगी और वह मुजाहिद से शादी कर लेगी। इसलिए दिनांक 22.09.20 की रात्रि में योजना के तहत शीबा अपने पति सनव्वर दवाई लेने के बहाने नीमखेड़ा लेकर आयी थी तथा वापस घर जाते समय अभियुक्तों द्वारा निर्माणाधीन फ्लाईओवर के पास जंगल ग्राम नीमखेड़ा में सनव्वर की गोली मारकर कर हत्या कर दी गयी थी।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के नाम-

1- श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात

2- है0का0 भगवती प्रसाद, है0का0 चालक सतेन्द्र कुमार व अन्य कर्मचारीगण